संख्या– 232/xxxi(15)G–04(सा0)/2020

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही/ अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी कम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए Social Distancing की सलाह दी है।

2– अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी)/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष (आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों यथा– स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर) अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलायें जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में अति आवश्यक है तथा शेष कार्मिकों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय बुलाये जाने की दशा में कार्यालय पहुँचकर बताये गए शासकीय कार्य को संपादित करेंगे। जिलाधिकारीगण COVID-19 की रोकथाम तथा अन्य किसी शासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की सेवायें प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे तथा इस उद्देश्य से उनके आदेश पर उक्त अधिकारी/कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति तथा बताए गए कार्य को संपादित कराना बाध्यकारी होगा। यह निर्देश एक सप्ताह (दिनांक 19 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक) तक प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयों में पत्र संख्या 23प/ आईडीएसपी/COVID-19 /2020/543, दिनांक 15 मार्च, 2020 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव